Office of District Magistrate, Meerut

To,

The Registrar (General),
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.

No. 3974/OSD-Comb/2024 Date- 29-4-2024

Sub: Action Taken Report in compliance of order dated 23.11.2023 passed by Hon'ble NGT in OA No 492/2022 titled by Greenwood City VilaJan welfare Society & Anr. Versus Godwin Construction Company Ltd.& Ors.

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following main directions-

".....17. In view of these aspects we consider it to be appropriate to seek a response from the State of Uttar Pradesh as to why the projects which have not been completed and for which the completion certificate have not been applied by the developers within the stipulated period, why for the purpose of maintaining safe human habitation ensuring proper sanitation and hygiene, which is a basic human right, the instrumentalities of the State should not take over the projects and complete the internal development works at the costs and expenses to be recovered from the developers as arrears of land revenue (by their arrest and detention and attachment and sale of their properties) so that the maintenance thereof can be taken over by the Municipal Corporation....."

In compliance of above said order, it is submitted that MDA asked for recovery of demand notice of Rs. 27,39,25,261/- dt.15/03/2023 as land revenue against M/s Godwin Construction Pvt Ltd. regarding payment for outstanding external development charges **(Annexure-1).** That Shri Jitendra Singh Bajwa filed writ petition no 12470/2023 before Hon'ble High Court, Allahabad against this recovery certificate issued by MDA in which Hon'ble court please to filed the order-

***" In view thereof, the writ petition is disposed of, directing the District, Meerut to proceed on the demand notice against the assets of the company i.e. fourth respondent, and not against the petitioner (Ex- Director), provided the petitioner is liable otherwise being a personal guarantor."*(Annexure-2).**

It is submitted that no property was found in the name of debtor/firm, Mr. Jitendra Singh Bajwa, Director of M/s Godwin Company Pvt. Ltd and hence RC through land revenue etc. could not be executed and demand notice was returned to MDA. **(Annexure-3).**

With regards,

Enclosure: as above.

Yours faithfully

29/4/2024

District Magistrate,
Meerut

Copy to- Shri Ankit Verma, Standing Counsel, UP (NGT) for necessary action.

29/4/2024

District Magistrate,
Meerut

Annexure-1

P-160

39/VC
19/12/2023

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 285/व.प्रा./2023 दिनांक : 15/03/23

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

जिलाधिकारी
मेरठ।
17-3-23

ADM (F/R)
तहसीलदार / मेरठ / मवाना / सरधना
संख्या........02........./सी0आर0ए0
पृष्ठ संख्या................../दि0 21/3/23
कृपया धनराशि नियमानुसार भू-राजस्व के अनुरूप निर्धारित अवधि में बकायेदार मांग-पत्र जारी कर कार्यालय को वापिस करायें तथा समय-समय पर वसूली की स्थिति से अवगत कराते रहें।

उप प्रभारी अधिकारी (संग्रह)
कलक्ट्रेट, मेरठ।

विषय : तलपट मानचित्र स0-28/06 में वाह्य विकास शुल्क के सापेक्ष धनराशि रू0-27,39,25,261.00 की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-47/मा0 जोन-सी/23 दिनांक 30.01.2023 एवं पत्र संख्या-82/जोन-सी/22 दिनांक 18.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मैसर्स गॉडविन कन्स0 प्रा0लि0 के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के क्रम में वाह्य विकास शुल्क की अवशेष धनराशि रू0 27,39,25,261.00 की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु सम्पूर्ण प्रकरण का विवरण निम्नवत है:-

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित वाद विविध नं0-7787/08 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2020 के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि मै0 गोडविन कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0-28/06 स्वीकृति दिनांक 26.09.07, ग्रीन बुड सिटी नाम से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया गया था। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार विकासकर्ता द्वारा वाह्य विकास शुल्क धनराशि रू0-6,57,14000.00 जमा कराये जाने थे। जिस हेतु आवेदक द्वारा 40 प्रतिशत धनराशि रू0-2,62,85600.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराते हुए अवशेष वाह्य विकास शुल्क रू0-3,94,28,420.00 की धनराशि को नियमानुसार किश्त किये जाने का अनुरोध किया गया था। जिस क्रम में आवेदक को प्रथम किश्त दिनांक 25.01.08 को धनांक रू0-1,54,95,541.00/दूसरी किश्त दिनांक 25.05.08 धनांक रू0-1,62,66,826.00 तथा तीसरी किश्त दिनांक 25.09.08 धनांक रू0-1.55,08,504.00 जमा किये जाने हेतु सूचित किया गया था। आवेदक द्वारा अवशेष धनराशि न जमा कराते हुए मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0-7787/08 दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया, कि वाह्य विकास शुल्क के मद में जो सुविधाएँ विकासकर्ता को दी जानी है। उन्हे तत्काल उपलब्ध करायी जायें तथा विपक्षी को दिनांक 15.11.08 तक रू0-1,00,00,000.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराये। उक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वांछित कार्य पूर्ण करा दिये गये थे एवं याची द्वारा धनराशि रू0-1,00,00,000.00 प्राधिकरण में दिनांक 18.11.08 व दिनांक 10.12.08 को जमा करा दिये गये थे। प्रश्नगत कालोनी के समस्त वाह्य विकास कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त भी आवेदक द्वार अद्यतन तक अवशेष वाह्य विकास शुल्क की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करायी गयी थी। अवशेष धनराशि रू0-2,94,28,420.00 देय दण्ड ब्याज के साथ प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 1042/18/मा03अनु0/जोन-सी/18 दिनांक 05.05.18 प्रेषित किया गया। तत्समय विकासकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा स्थगन आदेश जारी होना बताया गया था। विकासकर्ता को अवशेष धनराशि रू0-2,94,28,420.00 देय दण्ड ब्याज के साथ जमा कराने हेतु पत्रांक सं0-80/18/मा03अनु0/जोन-सी/18 दिनांक 27.08.2018 के माध्यम से सूचित किया गया था, परन्तु विकासकर्ता द्वारा पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया अपितु पूर्व

CRA
21/3/23

C:\Users\AlatroCell Letter P-II 971

नियोजित वाद में स्वतः संज्ञान लेकर वाद को पुनर्जीवित रेस्टुरेशन के आवदेन का उल्लेख व हुए कार्यवाही लम्बित रखने के लिए प्रार्थना की गयी। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में दाखि रिट याचिका सं0–7787/08 का मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2020 में निरस्त कर दी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विकासकर्ता को दिनांक 07.09.20.. व दिनांक 19.09.2020 को अवशेष वाह्य विकास शुल्क दण्ड ब्याज सहित जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे। उसके उपरान्त भी विकासकर्ता द्वारा बकाया धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करायी गयी है। तलपट मानचित्र सं0–28/06 में वाह्य शुल्क के रूप में दिनांक 25.12.2021 तक दण्ड ब्याज सहित रू0–27,39,25,261.00 आंकलित है।

तलपट मानचित्र सं0–28/06 में वाह्य विकास शुल्क के रूप में अंकन रू0–27,39,25,261.00 (दण्ड ब्याज दिनांक 25.12.2021 तक) एवं अन्य देयता मै0 गोडविन इन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 श्री जितेन्द्र सिंह वाजवा निवासी–डी–151, डिफेन्स एन्कलेव, मेरठ से भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वसूली पत्र के साथ भिजवाने हेतु आपके कार्यालय को पत्र संख्या–47/मा0 जोन–सी/23 दिनांक 30.01.2023 एवं पत्र संख्या–82/जोन–सी/22 दिनांक 18.02.2022 प्रेषित किया गया था। परन्तु अभी तक उक्त धनराशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में प्राधिकरण को प्राप्त नही हुई है।

उल्लेखनीय हैं कि प्राधिकरण की बकाया धनराशि वसूल किये जाने के लिए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–40 के अन्तर्गत देय धनराशि आर.सी. के माध्यम से वसूल किये जाने का प्राविधान है।

अतः अनुरोध है कि वाह्य विकास शुल्क के रूप में अंकन रू0–27,39,25,261.00 (दण्ड ब्याज दिनांक 25.12.2021 तक) एवं अन्य देयता मै0 गोडविन कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह वाजवा निवासी–डी–151, डिफेन्स एन्कलेव, मेरठ से भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–मैसर्स गॉडविन कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 श्री जितेन्द्र सिंह वाजवा निवासी–डी–151, डिफेन्स कालोनी, मवाना रोड, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Annexure-2

Court No. - 42

Case :- WRIT - C No. - 12470 of 2023

Petitioner :- Jitendra Singh Bajwa
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Raghav Dev Garg,Sr. Advocate
Counsel for Respondent :- CSC,Shiv Prakash Gupta

Hon'ble Saneet Kumar,J.
Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.

Heard learned counsel for the parties.

The petitioner claims to be an Ex-Director of a company being M/s Godwin Construction Pvt. Ltd., Meerut (respondent no. 4).

It is submitted that the petitioner resigned from the post o Director of the Company on 10.04.2022. In this backdrop, it i submitted that the impugned notice dated 15.03.2023, issued b the second respondent Vice Chairman, Meerut Developmen Authority, raising a demand notice to recover the dues agains the Director of the Company, is per se illegal.

It is submitted that the Company being a limited company, th Director of the Company cannot be held liable for th outstanding dues / default committed by the Company. Relianc has been placed on the decision rendered by Supreme Court i *Rakesh Mahajan vs. State of U.P. and others* *OnLine All 4766 : (2020) 2 All LJ 501.*

Be that as it may, legal proposition is not being disputed by th learned counsel for the respondents. He submitted that d Development Authority would proceed against the assets of th Company in accordance with law.

In view thereof, the writ petition is disposed of, directing t District Magistrate, Meerut, to proceed on the demand noti against the assets of the Company i.e. fourth respondent, a not against the petitioner (Ex-Director), provided the petition is liable otherwise being a personal guarantor.

Order Date :- 13.4.2023
Manoj

Annexure-3

39/VC
19.12.2023

188/सचिव
20/12/23

2159/ट
21-12-2023

महोदय,

मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ के बाकीदार मैसर्स गॉडविन कन्सट्रैक्शन प्रा0लि0 द्वा0 श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा निवासी डी-151 डिफेन्स कालोनी मवाना रोड मेरठ पर बाह्य विकास शुल्क की बकाया/अवशेष की वसूली हेतु मॉगपत्र प्राप्त हुआ जिसमें बाकीदार/फर्म को नियमानुसार आर0सी0प्रपत्र-36 तामील कराया गया जिसके उपरान्त बाकीदार/फर्म द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 12470/2023 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2023 उपलब्ध कराया गया।(छाया प्रति संलग्न) जिसके अनुपालन में बाकीदार/फर्म के नाम सम्पत्ति की तलाश की गयी, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल /राजस्व निरीक्षक से आख्या प्राप्त की गयी, लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 06.11.2023 के अनुसार बाकीदार/फर्म के नाम ग्राम पॉचली खुर्द परगना व तहसील मेरठ की वर्तमान खतौनी के खाता संख्या 200 के गाटा संख्या 523मि/1.1690है0 व गाटा संख्या 521मि/3.0350है0 पर मै0गॉडविन कन्सट्रैक्शन प्रा0लि0 द्वारा जितेन्द्रसिंह बाजवा पुत्र गुरूवचन बाजवा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। इसी खतौनी पर मा0 न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय मेरठ के वाद संख्या 159 अन्तर्गत धारा 143 यू0पी0जैड0ए0/एल0आर0एक्ट में आदेश दिनांक 12.07.2006 के द्वारा भूमि को अकृषक घोषित किया गया, जॉचोपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि में कालोनी बनी हुई है।,जिसमें फलैट /प्लाट /रास्ते/मकान इत्यादि है। पूछताछ में फर्म की समस्त भूमि विक्रय होना बताया गया है। फर्म के नाम कोई भूमि शेष रहना नही बताया गया है। (छाया प्रति संलग्न) एवं ग्रहकर अधीक्षक नगर निगम मेरठ से उपरोक्त बाकदार/फर्म के नाम भवन/सम्पत्ति के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी उनके द्वारा आख्या दी गयी है, कि भवन संख्या डी-151 डिफेन्स कालोनी मवाना रोड मेरठ, नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज नही है।(छाया प्रति संलग्न) तथा उपरोक्त बाकीदार/फर्म के नाम जानकारी करने पर ज्ञात हुआ, कि इंडियन बैंक शाखा माल रोड मेरठ में फर्म के नाम बैंक खाते संचालित किये जा रहे है, से आख्या प्राप्त की गयी, शाखा प्रबंधक द्वारा द्वारा उक्त फर्म के नाम खाता संख्या 20051854034 होना बताया गया, जो वर्तमान में बन्द होने की आख्या दी गयी है।(छाया प्रति संलग्न) ऐसी स्थिति में मॉगपत्र बिना वसूल वापस करने हेतु आख्या सादर प्रस्तुत।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

28/11/2023

महोदय,
संग्रह अमीन आख्या अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत
समस्त संलग्नक प्रेषित
28.11.2023
तहसीलदार
तहसील मेरठ

सम्बन्धित विभाग को तहसीलदार/मेरठ/ मवाना/सरधना की आख्या दिनांक 28-11-23 सहित मूल अभिलेख मय संलग्नक के वापिस।

13.12.23
उप प्रभारी अधिकारी (वसूली)
कलक्ट्रेट, मेरठ।